BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 29 जून, 2024 | **CRACKDOWN BULANDSHAHR** | **थाना अरनिया**

गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा,कारतूस व बाइक बरामद

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.06.2024 की रात्रि में थाना अरनिया पुलिस टीम एक अभिसूचना पर ग्राम शाहपुर बम्बे के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग/गस्त में मामूर थी, इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर 04 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। जिनको रूकने का इशारा किया गया तो एक बाइक पर सवार दो बदमाश पीछे मुड़कर भागने में सफल रहें तथा दूसरी बाइक पर सवार दो बदमाश बाइक को तेजी से मोड़कर ग्राम जरारा के जंगल की ओर जाने वाले रजवाहे के पुल की तरफ भागने लगे तो हड़बड़ाहट में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो एक बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया व दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल रहा। जिनकी कांबिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान शाहरूख उर्फ टूटू पुत्र शेरखाँ निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल बुलन्दशहर में भर्ती कराया गया हैं। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व पूर्व की घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शाहरूख उर्फ टूटू शातिर किस्म का गौकश अपराधी है जो थाना अरनिया पर पंजीकृत मुअसं-145/24 धारा 307 भादवि व धारा 3/5(क)/8 गोकश अधि0 व धारा 3/25/27 आयुध अधि0 में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- शाहरूख उर्फ टूटू पुत्र शेरखाँ निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2- 01 अपाचे मोटरसाइकिल (पूर्व घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त शाहरूख उर्फ टूटू का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-151/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-298/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-338/21 धारा 379 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-363/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
6- मुअसं-379/21 धारा 379 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर।
7- मुअसं-410/21 धारा 147/307 भादवि व 3/5(क)/8 गौवध अधि0 थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।
8- मुअसं-595/21 धारा 120बी/382/411/460 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
9- मुअसं-206/22 धारा 380/457 भादवि थाना वल्देव जनपद मथुरा।
10- मुअसं-345/22 धारा 380/411 भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा।
11- मुअसं-362/22 धारा 379/411 भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा।
12- मुअसं-382/22 धारा 380/457 भादवि थाना वल्देव जनपद मथुरा।
13- मुअसं-126/23 धारा 174ए भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा।
14- मुअसं-127/23 धारा 174ए भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा।
15- मुअसं-190/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
16- मुअसं-49/23 धारा 395/394/397 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
17- मुअसं-145/24 धारा 307 भादवि व 3/5(क)/8 गौवध अधि0 व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
18- मुअसं-107/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
19- मुअसं-177/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री पम्मी चौधरी थाना प्रभारी अरनिया।

2- उ0नि0 पवन मलिक, उ0नि0 सौरभ कुमार, उ0नि0 यूटी गौरव त्यागी, उ0नि0 यूटी सकलेन हसन जैदी।

3- है0का0 पुरूषोत्तम सिंह, का0 सुमित कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अंकुश कुमार, का0 रोहित कुमार।

मीडिया सेल बुलंदशहर